



Revised Ldc RR

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 32] नई दिल्ली, दिसम्बर 23—दिसम्बर 29, 2018, शनिवार/ पौष 2—पौष 8, 1940

No. 32] NEW DELHI, DECEMBER 23—DECEMBER 29, 2018, SATURDAY/ PAUSHA 2—PAUSHA 8, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक् संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश

Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

रक्षा उत्पादन विभाग

(वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2018

का.नि.आ. 130.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ख' अराजपत्रित (अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम 2014 को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय में समूह 'ख' (अनुसचिवीय पद) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ख' अराजपत्रित (अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.**— वह व्यक्ति —

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2018

का.नि.आ 131.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और (i) तकनीकी विकास और उत्पादन (वायु) संगठन निदेशालय वर्ग III तकनीकी, वैज्ञानिक और अन्य अनुसन्धानीय पद भर्ती नियम, 1972 को, जहाँ तक उनका संबंध फेरो मुद्रक के पद से है; (ii) रक्षा मंत्रालय, तकनीकी विकास और उत्पादन (वायु) वरिष्ठ गैस्टेटनर अपरेटर भर्ती नियम, 1985 को और; रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2013 को, जहाँ तक उनका संबंध अपर श्रेणी लिपिक और अपर श्रेणी लिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय में समूह 'ग' अराजपत्रित (अनुसन्धानीय पद) पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. ये नियम इनसे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. अपर श्रेणी लिपिक	47*(2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण: पद संख्या में तीन पद भंडारी ग्रेड-I के भी सम्मिलित हैं जिनका अपर श्रेणी लिपिक की ग्रेड में	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसन्धानीय	वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रु) में स्तर-4	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

विलयन, वर्तमान पदधारी द्वारा इन पदों को खाली किये जाने की तारीख से होगा।					
--	--	--	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	75 प्रतिशत ज्येष्ठता-सह-उपयुक्ता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा। 25 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
<p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रु) में स्तर-2 के ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस ग्रेड में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रु) में स्तर-2 के ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस ग्रेड में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलातापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>1. कमान अधिकारी, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन खण्ड (आयुधादि) खमरिया -अध्यक्ष</p> <p>2. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (ग्रेड-I), वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय से समतुल्य स्तर का अधिकारी -सदस्य</p> <p>3. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (ग्रेड-II), वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय से समतुल्य स्तर का अधिकारी -सदस्य</p>	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. अवर श्रेणी लिपिक	46*(2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण: पद संख्या में वरिष्ठ गैस्टेटनर आपरेटर का एक पद और फेरो मुद्रक के छः पद भी सम्मिलित है जिनका अवर श्रेणी लिपिक की ग्रेड में विलयन, वर्तमान पदधारी द्वारा इन पदों को खाली किये जाने की तारीख से प्रभावी होगा।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (19900-63200रु) में स्तर-2	लागू नहीं होता	(18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच) (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के साध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा से आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य। (ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में पैंतीस शब्द प्रति मिनट या हिंदी में तीस शब्द प्रति मिनट की टंकण गति।

(8)	(9)	(10)
आयु-नहीं शैक्षिक अर्हताएं: स्तंभ (10) में उपदर्शित परिमाण तक, हों	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) 70 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (ii) 20 प्रतिशत वेतन मैट्रिक्स (18000-56900रु) में स्तर-1 के ऐसे बहु कार्य कर्मचारिवृन्द जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता रखते हैं और उस ग्रेड में परिसीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर तीन वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हैं, द्वारा की जाएगी। परीक्षा के लिए अर्हता के लिए अधिकतम आयु-सीमा पैंतालिस वर्ष (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पचास वर्ष की आयु) होगी। (iii) 10 प्रतिशत रिक्तियों वेतन मैट्रिक्स (18000-

5/8

	56900 रु) में स्तर-1 के ऐसे बहु-कार्य कर्मचारी वृन्द जिन्होंने उस ग्रेड में तीन वर्ष नियमित सेवा की है, में से वरिष्ठता-सह-उपयुक्त के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।
--	---

(11)
लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. कमान अधिकारी, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन खण्ड (आयुधादि) खमरिया -अध्यक्ष 2. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (ग्रेड-I) या वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय से समतुल्य स्तर के अधिकारी -सदस्य 3. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (ग्रेड-II), या वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय से समतुल्य स्तर के अधिकारी -सदस्य समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. कमान अधिकारी, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन खण्ड (आयुधादि) खमरिया -अध्यक्ष 2. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (ग्रेड-I) या वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय से समतुल्य स्तर का अधिकारी -सदस्य 3. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (ग्रेड-II), या वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय से समतुल्य स्तर का अधिकारी -सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. 2523/भ.नि.(समूह 'ग')/वै.गु.आ.मनि./प्रशा-II/डी(एच ए एल)]

इंद्रजीत सेठी, अवर सचिव

New Delhi, the 7th December, 2018

S.R.O. 131.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of, (i) the Directorate of Technical Development and Production (Air) Organisation Class III Technical, Scientific and other Non-Ministerial posts Recruitment Rules, 1972, in so far as they relate to the post of Ferro Printer; (ii) the Ministry of Defence, Directorate of Technical Development and Production (Air) Senior Gestetner Operator Recruitment Rules, 1985; and (iii) the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2013, in so far as they relate to the posts of Lower Division Clerk and Upper Division clerk, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of Group 'C' Non-Gazetted (Ministerial posts) in the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, namely:—

- Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- These rules shall apply to the posts specified in column (i) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification, level in pay matrix or pay scale.**—The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Upper Division Clerk.	47* (2018) *Subject to variation dependent upon workload. Note : The number of posts includes three posts of Store Keeper Grade-I merged in the grade of Upper Division Clerk effective from the date when these posts are vacated by the existing incumbents	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial	Level -4 in the Pay Matrix (Rs 25500-81100)	Non -selection

Age- limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and the percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Not applicable	75 percent by promotion on the basis of seniority- cum- fitness. 25 percent through Limited Departmental Competitive Examination	Promotion Lower Division Clerks in Level-2 (Rs 19900-63200) in the pay matrix with eight years regular service in the grade; Limited Departmental Competitive Examination Lower Division Clerks in Level-2 (Rs 19900-63200) in

		<p>the pay matrix with five years regular service in the grade.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the 7th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Commission.</p>
--	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Commanding Officer, Aeronautical Quality Assurance Wing(Armament), Khamaria - Chairman; 2. Senior Scientific Officer (Grade-I) or equivalent level from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance - Member; 3. Senior Scientific Officer(Grade-II) or equivalent level from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance - Member. 	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Lower Division Clerk.	<p>46* (2018)</p> <p>*Subject to variation dependent upon workload.</p> <p>Note: The number of posts includes one post of Senior Gestetner Operator and six posts of Ferro Printer merged in the grade of Lower Division Clerk effective from the date when these posts are vacated by the existing incumbents.</p>	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level 2 in the pay Matrix (Rs 19900-63200).	Not applicable

(6)	(7)	(8)
<p>Between 18 to 27 years.</p> <p>(Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note 1: - The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh,</p>	<p>(i) 12th Class pass or equivalent qualification from a recognised Board or University.</p> <p>(ii) A typing speed of thirty five words per</p>	<p>Age- No.</p> <p>Educational qualifications- yes, to the extent indicated in column (10).</p>

Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangri sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep. Note 2: - The crucial date for determining the age-limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission (where recruitment is met through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age-limit shall be the last date for receipt of application.)	minute in English or thirty words per minute in Hindi on computer.	
--	--	--

(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits	(i) 70 per cent by direct recruitment; (ii) 20 per cent, shall be filled from Multi Tasking Staff in Level-1 in the pay matrix (Rs 18000-56900) and who possess 12 th class pass or equivalent qualification and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of Limited departmental Competitive examination. The maximum age-limit for eligibility for examination is forty five years (Fifty years of age in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes). (iii) 10 per cent of the vacancies shall be filled up by promotion on seniority-cum-fitness basis from Multi Tasking Staff in Level-1 in the pay matrix (Rs 18000-56900) who have three years regular service in the grade.	Not applicable.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Commanding Officer, Aeronautical Quality Assurance Wing(Armament), Khamaria - Chairman; 2. Senior Scientific Officer (Grade-I) or equivalent level from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance - Member; 3. Senior Scientific Officer (Grade-II) or equivalent level from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance - Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of:- 1. Commanding Officer, Aeronautical Quality Assurance Wing(Armament), Khamaria - Chairman; 2. Senior Scientific Officer (Grade-I) or equivalent level from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance - Member; 3. Senior Scientific Officer (Grade-II) or equivalent level from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance - Member.	Not applicable.

[No. 2523/RRs(Gp 'C')/DGAQA/Adm-II/D(HAL)]

INDERJEET SETHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2018

का.नि.बा.132.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना, नौसेना, वायु सेना), रक्षा कर्मचारिवृन्द मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन उच्च श्रेणी लिपिक भंडार (रात्रि पारी) और भंडारी श्रेणी-2 (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 2016 का निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना, नौसेना, वायु सेना), रक्षा कर्मचारिवृन्द मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन उच्च श्रेणी लिपिक भंडार (रात्रि पारी) और भंडारी श्रेणी-2 (समूह "ग" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना, नौसेना, वायु सेना), रक्षा कर्मचारिवृन्द मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन उच्च श्रेणी लिपिक भंडार (रात्रि पारी) और भंडारी श्रेणी-2 (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 2016 के,—